B.A. Part - II (Sub)

विश्व के प्रमुख संविधान

Topic :– अमेरिकी मौलिक अधिकार

American Fundamental Right

अधिकार ही किसी राज्य का आधार है। अधिकार ही वह गुण है जो शासन सत्ता को नैतिक स्वरूप प्रदान करता है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को प्रायः संविधान में लिपिबद्ध किया जाता है, जिसका अर्थ है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एवं मनमाने ढंग से इसमें शासन सत्ता के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

आधुनिक युग में प्रायः सभी देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख रहता है। लेकिन कई देश हैं जिनके संविधानों में इसकी चर्चा नहीं है जैसे – कनाडा, आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका आदि देश के संविधान।

फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की सूची नहीं थी। फिर भी छिट फुट ढंग से कहीं-कहीं अधिकारों का उल्लेख था। मौलिक अधिकारों के संबंध में "जेफर्सन" ने इसके पक्ष में तर्क देते हुए लिखा की कार्यपालिका, विधायिका अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें। इसके लिए संविधान में मूल अधिकारों की परिगणना आवश्यक है। किसी भी न्यायप्रिय सरकार को इसे निषेध नहीं करना चाहिए। प्रथम दश संशोधनों के द्वारा इन्हें संविधान का अंग बना दिया गया। इन संशोधनों को (Bill of Rights) कहते हैं।

अमेरिकी नागरिको के मूल अधिकारों की विशेषताएं :— अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का यहां उल्लेख करेंगे।

1. अमेरिका में नागरिकों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के अलावे कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त है।
2. अमेरिका में मौलिक अधिकारों के दो आधार हैं – अमेरिका का संविधान तथा राज्यों का संविधान।
3. अमेरिका में कुछ अंश तक मौलिक अधिकारों में अस्पष्टता पाई जाती है। जिसके कारण वहां की न्यायिक व्यवस्था यानी न्यायपालिका को निर्वचन के संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

4. अमेरिका में मौलिक अधिकारों के अध्याय में कर्तव्यों की परिगणना नहीं की गयी है।
5. मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय की संरक्षा प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का विरोध करने वाले समस्त प्राधिनियम अवैध घोषित किये जायेंगे।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण — अमेरिका में गणित मौलिक अधिकारों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है।

1. वैयक्तिक अधिकार
2. न्यायिक प्रक्रिया
3. सम्पत्ति संबंधी अधिकार

I. वैयक्तिक अधिकार :— इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार आते हैं।

(i) दासता से मुक्ति :— दासता से पूर्ववर्ती नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार है। गृह युद्ध के उपरान्त 13 वें संशोधन द्वारा दासता निषिद्ध कर दी गयी है। संशोधन के अनुसार "दासता तथा अनैच्छिक सेवा" संयुक्त राज्य के किसी भाग में नहीं रहेगी। केवल सेना को इससे अलग रखा गया है।

(ii) विधि का समान संरक्षण :— 14 वें संशोधन के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता की स्थिति पैदा की गयी है।

(iii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :— संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि "कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे किसी धर्म की स्थापना की जाती हो। अमेरिका में धर्म को व्यक्तिगत माना गया है, वहां राज्य को धर्म को मर्यादित एवं नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(iv) शस्त्र धारण करने का अधिकार :— अमेरिका के नागरिकों को शस्त्र धारण करने एवं रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके लिए पुलिस प्रशासन से लाइसेंस की आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

v. घरों की तलाशी में संरक्षण :— तीसरे संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी नागरिक के घर की तलाशी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के नहीं ली जायेगी। साथ ही किसी सैनिक को घर के स्वामी के अनुमति के बिना उसके घर में नहीं ठहराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सामानों आदि की तलासी में भी नागरिकों को संरक्षण प्राप्त है।

vi. देशद्रोह से संबंधित प्रावधिकार :— संविधान में देशद्रोह की परिभाषा दी गयी है। राज्य के विरुद्ध आंदोलन करने, दुश्मनों की सहायता करने और उसका साथ देने की प्रक्रिया को देशद्रोह कहा जायेगा। देशद्रोह को अपराध सिद्ध करने के लिए दो गवाहों का बयान या खुली अदालत में अपराधी द्वारा स्वीकृति आवश्यक है।

2. न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अधिकार :— अमेरिकी संविधान में नागरिकों को प्रशासनिक अधिकारों के अनुचित प्रभाव से मुक्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अनेक अधिकारों का प्रावधान है।

(i) शीघ्र और खुली अदालत में सुनवाई का अधिकार :— संविधान के छठे संशोधन में अपराध संबंधी मुकदमें में अभियुक्त को शीघ्र और खुली अदालत में सुनवाई का अधिकार है।

(ii) कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार :— प्रत्येक दांडिक अपराध के अभियुक्त को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि विरोधी गवाहों की गवाही उसकी उपस्थिति में हो, उसके पक्ष में गवाहों को उपस्थित होने के लिए विनती किया जाय और उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील की सहायता प्रदान किया जाय, साथ ही अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

(iii) बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख :— भारत, इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी बन्दीप्रत्यक्षीकरण का लेख (Writ of Habeas Corpus) न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अन्तर्गत बन्दी को न्यायालय के समक्ष इसबात का निश्चय करने के लिए कि

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्यों यह संवैधानिक रूप से बन्दी बनाया गया है, प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है। यदि नजरबंदी विधि के अनुसार है तो व्यक्ति को पुनः कारावास भेज दिया जाता है, अन्यथा न्यायालय उसे छोड़ देता है। केवल्ल युद्ध अथवा अशांति के समय यह अधिकार निरस्त किया जाता है।

(IV) विधि की उचित प्रक्रिया का संरक्षण :— अमेरिका के संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है। जबकि भारत में "विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया" (Process established by Law) के सिद्धान्त को अपनाया गया है। संविधान के पाँचवें संशोधन के एक उपबन्ध के अनुसार "किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से विधि की उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राज्यों पर भी बंधन लगाया गया है।

(B) संपत्ति का अधिकार और प्रतिबन्ध :— अमेरिका में संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वहा के संविधान का आधारभूत सिद्धान्त है। अमेरिका में संपत्ति की परिभाषा बहुत व्यापक है, संपत्ति में सिर्फ भौतिक वस्तुएँ नहीं आती बल्कि अमूर्त वस्तुएँ भी आती है। अमेरिका का साधारण दर्शन यह मानकर चलता है कि सभी तरह की संपत्ति वैयक्तिक अधिकार में होनी चाहिए, लेकिन भारत में संपत्ति अर्जन धारण तथा लेन देन का अधिकार संविधान में वर्णित है इस प्रकार की कोई धारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्णित नहीं है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वैयक्तिगत संपत्ति का अधिकार एक दम से सिमित है। सरकार उसे हस्तगत या निपामित कर सकती है, लेकिन सरकार को भी संपत्ति हस्तगत करने का अधिकार असिमित नहीं है। वह कुछ विशेष परिस्थिति में वैयक्तिगत संपत्ति में हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायालय का भी उस पर नियंत्रण रहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के द्वारा बनाये गये कानून को अवैध घोषित किया है जैसे - कमसेकम मजदूरी स्थापित करने का कानून, अधिक से अधिक काम का समय निर्धारित करने का कानून आदि।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner